बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: यो0स्था0–1/5–3/13–2617 /यो0वि0,पटना, दिनांक 04 जुलाई,2014

प्रेषक:

पंकज कुमार
सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ
पटना

विषय : बिहार राज्य योजना पर्षद् के अंतर्गत भा0प्र0से0 के शीर्ष वेतनमान (80,000/–नियत) में मुख्य सलाहकार के पद का सृजन के संबंध में।

महाशय,

बिहार राज्य योजना पर्षद् का गठन वर्ष 1972 में किया गया तथा समय समय पर आवश्यकतानुसार, इसका पुनर्गठन किया गया।

2. राज्य योजना सूत्रण तथा केन्द्रीय योजनाओं के स्वरूप में अर्थव्यवस्था की उदारीकरण के फलस्वरूप काफी बदलाव आया है। किसी भी राज्य के विकास की शीर्ष इस राज्य के योजना की प्रकृति एवं सूत्रण है। इसी के माध्यम से राज्य सरकार अपने प्राथमिकताओं का निर्धारण करती है तथा वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं के अतिरिक्त दीर्घकालीक योजनाओं की रूपरेखा भी राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है। उपर्युक्त दायित्वों के सफल संचालन हेतु योजना एवं विकास विभाग के संकल्प संख्या 1593 दिनांक 18.04.2013 के द्वारा बिहार राज्य योजना पर्षद का पुनर्गठन भी किया गया है। (संकल्प की छायाप्रति अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।)

3. राज्य योजना पर्षद इन योजनाओं के अनुश्रवण के संबंध में परामर्श हेतु अधिकार प्राप्त संस्था है। योजना पर्षद को मूलतः निम्नांकित कार्य सौपें गये हैं:–

(i) वार्षिक योजना, पंचवर्षीय योजना, दीर्घलक्षी योजना, योजनाओं की मध्यावधि समीक्षा, मूल्यांकन अध्ययन एवं शोध, विभिन्न प्रक्षेत्रों में नीति निर्माण में आवश्कतानुसार सरकार को सलाह देना।

(ii) राज्य योजनाओं का सामान्य सूत्रण तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरुप होगी, के संबंध में सुझाव देना।

(iii) दीर्घकालीन योजना जो आगामी 10 वर्षों के लिए होगी, का सामान्य सूत्रण, दिशा निर्धारण एवं विभिन्न विभागों के प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए अनुशंसा।

(iv) दीर्घकालीन योजनाओं के तहत समय–समय पर योजना की प्रगति की समीक्षा करना तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी के क्षेत्र, अन्य तकनीकी प्रगति को देखते हुए योजनाओं के स्वरूप में बदलाव हेतु सुझाव देना।

(v) राज्य सरकार को योजना सूत्रण में सहयोग देना तथा विभिन्न विकासात्मक विभागों के कार्यक्रम, परियोजना आदि की तैयारी हेतु दिशा–निर्देश देना।

(vi) राज्य में आर्थिक उदारीकरण के परिवेश में विस्तृत आर्थिक सुधार हेतु अध्ययन, विभिन्न नियमों के सरलीकरण पर कार्य करना तथा उनपर सुझाव देना।

4. बिहार राज्य योजना पर्षद को सौंपे गये उपर्युक्त कृत्यों एवं दायित्वों के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य योजना पर्षद में सृजित सात परामर्शी के पद के अतिरिक्त एक मुख्य सलाहकार के पद का सृजन आवश्यक हो गया है।

5. इस परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य योजना पर्षद के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के शीर्ष वेतनमान (80,000/- नियत) में मुख्य सलाहकार के एक पद का सृजित किया जाता है।

6. इस पद पर होने वाले व्यय का वहन आय–व्यय शीर्ष 3451– सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101–योजना आयोग/योजना बोर्ड, उपशीर्ष 0001–बिहार राज्य योजना बोर्ड के अंतर्गत विकलनीय होगा।

7. प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

8. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 01.07.2014 के मद संख्या–44 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है।

4/7/2014
(पंकज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : योoस्थाo–1/5–3/13– 2617 योoविo,पटना,दिनांक 04 जुलाई,2014
प्रतिलिपि: मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/उप निदेशक, बिहार राज्य योजना पर्षद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/7/2014
सचिव

ज्ञापांक: योoस्थाo–1/5–3/13– 2617 /योoविo,पटना,दिनांक 04 जुलाई,2014
प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/7/2014
सचिव
योजना एवं विकास विभाग